FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

चेनाराम बनाम जसवन्त सिंह वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RTA नं. 315/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/10/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री छगनाराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/11/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
17/11/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील होकर तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिग्गर कार्य में व्यस्त होने से मिशल इलतवा होकर आगामी दिनांक 24/02/2021 को पेश हो। [initials]	
24/02/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के [illegible] मिशल इलतवा होकर आगामी दिनांक 20/04/2021 को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:55 IST
Reason: SelfAttested

20/04/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण मजु०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/06/2021 को पेश हो। ह०

24/06/2021 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 11/08/2021 को पेश हो। ह०

11/08/2021 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 19/11/2021 को पेश हो। ह०

19/11/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण मजु०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/12/2021 को पेश हो। ह०

24/12/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण मजु०। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेहा मेड़ आये हुए हैं। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य [illegible] व कटे आये हुए [illegible] की वजह से विवाद [illegible] अपने खेत की सीमाओं का ज्ञान [illegible] हो पा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रहा है। खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेपमवनी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमवनी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमवनी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेपमवनी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1508 दिनांकः– 24/12/21

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चेनाराम पुत्र लिछमणाराम वगैरा 7 जाति जाट, निवासी कसुम्बला भाटियान पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. जसवन्तसिंह पुत्र सांगसिंह वगैरा 8 जाति राजपुत, निवासी कसुम्बला भाटियान पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 315 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – कसुम्बला भाटियान, पटवार मण्डल – कसुम्बला भाटियान, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 238 / 167 रकबा 50 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कसकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1509-13 दिनांकः– 24/12/2021

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का कसुम्बला भाटियान को भेजकर [illegible] है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करें।
3. प्रार्थी श्री चेनाराम पुत्र लिछमणाराम वगैरा 7
4. विप्रार्थी श्री जसवन्तसिंह पुत्र सांगसिंह वगैरा 8
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:22:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु